



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1942 (श०)

(सं० पटना 476) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 153, दिनांक 10 अगस्त 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 129, दिनांक 09 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (i) में,-

- (i) “जून, 2020 के 29वें” अंकों और शब्दों के स्थान पर “अगस्त, 2020 के 30वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) “जून, 2020 के 30वें” अंकों और शब्दों के स्थान पर “अगस्त, 2020 के 31वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-10)1356)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

10 अगस्त 2020

एस० ओ० 153, दिनांक 10 अगस्त 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-10) 1356)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 10th August 2020

S.O. 153, Dated 10th August 2020— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar , on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 129, dated the 9th June, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 348, dated the 9th June, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i),--

- (i) for the words, figures and letters “29th day of June, 2020”, the words, figures and letters “30th day of August, 2020” shall be substituted;
- (ii) for the words, figures and letters “30th day of June, 2020”, the words, figures and letters “31st day of August, 2020” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10)1356)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 476-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>